

छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग-दो

शुक्रवार, दिनांक 21 मार्च, 2025 (फाल्गुन - 30, 1946)

लोक लेखा, प्राक्कलन, सरकारी उपक्रमों संबंधी, स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समितियों के लिये नौ-नौ माननीय सदस्यों का निर्वाचन.

छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम -221 के उप नियम (3), 223 के उप नियम (2), 223-ख के उप नियम (1) तथा 223-ग के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार क्रमशः लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति हेतु वित्तीय वर्ष 2025-2026 की अवधि के लिए निम्नलिखित माननीय सदस्यों को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा दिनांक 21 मार्च, 2025 को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर नियम 180 के उप नियम (1) के अधीन इन समितियों के सभापतियों को नियुक्त किया गया :-

लोक लेखा समिति

क्र. उम्मीदवार का नाम

1. श्री धर्मजीत सिंह
2. श्री धरम लाल कौशिक
3. श्री अमर अग्रवाल
4. श्री किरण देव
5. श्रीमती रेणुका सिंह सरूता
6. डॉ. चरण दास महंत
7. श्री लखेश्वर बघेल
8. श्रीमती शेषराज हरवंश
9. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह

डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष इस समिति के सभापति होंगे।

प्राक्कलन समिति

क्र. उम्मीदवार का नाम

1. श्री अजय चन्द्राकर
2. सुश्री लता उसेण्डी
3. श्री भईया लाल राजवाड़े
4. श्री राजेश मूणत
5. श्रीमती रायमुनी भगत
6. श्री उमेश पटेल
7. श्री भोलाराम साहू
8. श्री कुंवर सिंह निषाद
9. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी

श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य इस समिति के सभापति होंगे।



सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

क्र. उम्मीदवार का नाम

1. श्री अमर अग्रवाल
2. श्री राजेश मूणत
3. श्री किरण देव
4. श्री प्रबोध मिंज
5. श्री पुरन्दर मिश्रा
6. श्रीमती अनिला भेंडिया
7. श्री दलेश्वर साहू
8. श्री देवेन्द्र यादव
9. श्री अटल श्रीवास्तव

श्री अमर अग्रवाल, सदस्य इस समिति के सभापति होंगे।

स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज लेखा समिति

क्र. उम्मीदवार का नाम

1. श्री धरम लाल कौशिक
2. श्री नीलकंठ टेकाम
3. श्री पुरन्दर मिश्रा
4. गुरु खुशवंत साहेब
5. श्री अनुज शर्मा
6. श्री द्वारिकाधीश यादव
7. श्रीमती संगीता सिन्हा
8. श्रीमती अंबिका मरकाम
9. श्री ब्यास कश्यप

श्री धरम लाल कौशिक, सदस्य इस समिति के सभापति होंगे।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा